

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following english translation of notification no. 2092/XXIV-P-3-2007-1-06 dated December 7, 2007

No. 2092/XXIV-P-3-2007-1-06

Lucknow: Dated December 7, 2007

IN exercise of powers under sub-section (4) of section 3 of the U.P. Electricity (Duty) Act, 1952 (U.P. Act no. XXXVIII of 1952) and section 22 of the Uttar Pradesh Special Economic Zone Development Authority Act, 2002 (U.P. Act no. 10 of 2002) the Governor is pleased to direct that with immediate effect Electricity Duty and Taxes on energy generated or purchased for utilisation in service area of Special Economic Zone shall be exempted for a period of ten years from the date of generation or commencement of service.

By order

V. N. GARG,

Pramukh sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 983 राजपत्र (हि०)- 2007-(2171)-597 प्रतिया-कम्प्यूटर/आफसेट।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 4 सा० ऊर्जा-2007-(2172)-500 प्रतिया-कम्प्यूटर/आफसेट।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 2007

अग्रहायण 16, 1929 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-3

संख्या 2092/चौबीस-पी-3-2007-1-06

लखनऊ, 7 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना

प० आ०-669

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1952) की धारा-3 की उपधारा (4) और उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2002 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2002) की धारा 22 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि तात्कालिक प्रभाव से विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के सेवा क्षेत्र में उपयोगार्थ उत्पादित अथवा क्रय की गई ऊर्जा पर उत्पादन अथवा सेवा प्रारम्भ करने के दिनांक से दस वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और करों से छूट दी जाएगी।

आज्ञा से,

वी० एन० गर्ग,

प्रमुख सचिव।